<u>सराहनीय कार्य</u>

<u>प्रेस नोट</u>

<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>

<u>दिनांक 02.09.2022</u>

<u>जनपदीय पुलिस ने की अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण के विरूद्ध बडी कार्यवाही, 05 अभियुक्त गिरफ्तार, 90 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामदः-</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना वजीरगंज पुलिस ने थाना क्षेत्र मे दबिश देकर अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण कर रहे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे 30 लीटर अवैध कच्ची शराब, यूरिया 200 ग्राम, नौसादर 100 ग्राम व एक अदद वाहन बोलेरो यू0पी0 45 क्यू – 0852, थाना इटियाथोक पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना नवाबगंज पुलिस ने 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 50 ली0 अवैध कच्ची शराब, बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरूद्ध संबंधित थानों द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 02.09.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 21 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

06 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना को0नगर पुलिस ने 01, थाना को0देहात पुलिस ने 01, थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 01, थाना परसपुर पुलिस ने 01, थाना कौडिया पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल जनपद गोण्डा

दिनांक 02.09.2022

पुलिस अधीक्षक गोंडा के निर्देशन में थाना खरगूपुर पुलिस ने अपहृता को सकुशल किया बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने व अपहृताओ की शीघ्र बरामदगी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षो को निर्देशित किया था।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना खरगूपुर पुलिस ने सुरागरसी पतारसी व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मदद से मु0अ0सं0 225/22 धारा 366, 504 भादवि0 व 3(2)(VA) एससी0/एसटी0 एक्ट से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। बरामद अपहृता को वन स्टॉप सेंटर दाखिल किया गया है। उ0नि0 भोलाशंकर द्वारा विधिक कार्यवाही पूर्ण कर परिजनो को सुपुर्द किया जाएगा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 225/22 धारा 366, 504 भादवि0 व 3(2)(VA) एससी0/एसटी0 एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोंडा।

बरामद कर्ता टीम

01.उ0नि0 भोलाशंकर

02.हे0का0 अनिल कुमार यादव

03.म0का0 नितांशी शुक्ला।

<u>सराहनीय कार्य</u>

<u>प्रेस नोट</u>

<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>

<u>दिनांक 02.09.2022</u>

<u>अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।
उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त तिलकराम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 40 गोली अल्प्राजोलम बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0नगर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

01. तिलकराम पुत्र सीताराम निवासी बेहड़ा चौबे मेवाजी पुरवा थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

01. मु0अ0सं0-578/22, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी-</u>

01. 40 गोली अल्प्राजोलम।

<u>गिरफ्तार कर्ता-</u>

उ0नि0 अश्वनी कुमार दूबे मय टीम।